दि राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना

- राज्य में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना विद्यमान है। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक व जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। प्रतापगढ, राजसमंद, करौली व धौलपुर जिलों में वर्तमान में पृथक केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है तथा इन जिलों में पैतृक जिले में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख उपलब्ध करवाई जा रही है।

- वर्ष 2008 में 5255 समितियों कार्यरत थी जो 31 मार्च, 2015 को बढकर 6231 हो गई।

- राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक इन सभी संस्थाओं की राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था है। राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा सभी केन्द्रीय सहकारी बैकों को उनके द्वारा वितरित ऋणों का पुनर्भरण उपलब्ध करवाया जाता है। अपेक्स बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण व उन्हें विभिन्न कार्यकलापों पर मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है।

- बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर, 1953 को हुई। राज्य सहकारी बैंक की कुल 16 शाखाएं कार्यरत है, जिनमें से 5 क्षेत्रीय शाखाएं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर में कार्यरत है तथा शेष 11 शाखाएं जयपुर शहर में संचालित है। दिनांक 31.3.2015 को केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल 429 शाखाएं संबंधित बैंकों के कार्यक्षेत्र में बैंकिंग व्यवसाय कर रही है।

- राज्य सहकारी बैंक एवं सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य सहकारी बैंक एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित शिड्यूल्ड बैंक है।

- राज्य सहकारी बैंक एवं सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक व सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में निर्वाचित संचालक मंडल स्थापित किया गया। राज्य सहकारी अधिनियम में पुनरूद्वार पैकेज के प्रावधानों के अनुरूप अप्रेल, 2010 में संशोधन कर इन संस्थाओं का दायित्व सहकारिता की भावना के अनुरूप निर्वाचित संचालक मंडलों को सौपा गया है। जिन संस्थाओं के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पुनः चुनाव कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा इस बीच संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये जाते हैं।

राज्य सहकारी बैंक की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td colspan="6">आम सभा</td></tr>
<tr><td colspan="6">संचालक मंडल</td></tr>
<tr><td colspan="6">प्रबंध निदेशक</td></tr>
<tr><td colspan="6">महाप्रबंधक (3)</td></tr>
<tr><td>उप–महाप्रबंधक (परिचालन)</td><td>उप–महाप्रबंधक (आ0वि0) (रिकवरी)</td><td>उप–महाप्रबंधक (लेखा व वित्त)</td><td>उप–महाप्रबंधक (नि0प0)</td><td>उप–महाप्रबंधक (प्र0का0) (ट्रेनिंग)</td><td>उप–महाप्रबंधक (ईडीपी)</td></tr>
</table>

प्रमुख गतिविधियां

1. अल्पकालीन ऋण वितरण :

- भारत सरकार की नीति अनुसार दिनांक 01.04.2006 से राज्य में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को विशेषकर लघु एवं सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक समुदाय के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रूपये 3.00 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे है।
- वर्ष 2014–15 के बजट में रूपये 3.00 लाख तक के वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह से राज्य में समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण दिए जा रहे हैं।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में दिनांक 01.04.1999 से लागू कर राज्य में भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।
- जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा मिनी बैंक का कार्य किया जा रहा है उन समितियों द्वारा अपने स्तर से ही किसानों को ऋण वितरण किया जा रहा है जिससे किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहा है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास बीज एवं खाद की उपलब्धता नहीं होने पर सदस्य किसानों को खाद एवं बीज क्रय करने के लिए नकद राशि का भुगतान किया जा रहा है।
- समय पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को बिना अन्तराल के अर्थात ऋण चुकाते ही पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- वर्ष 2015–16 में किसानों को 17,500 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण विरतण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 12 जून, 15 तक 15 लाख काश्तकारों को 7हजार करोड़ रुपए से अधिक के फसली सहकारी ऋण दिए जा चुके है।

गत 5 वित्तीय वर्षों में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की प्रगति :

- दिनांक 31 मार्च 2015 को लगभग 39,30,461 किसान क्रेडिट कार्ड परिचालित थे जो दिनांक 31 मई, 2015 को 39,52,758 हो गये।
- गत 5 वर्षो में सहकारी बैंकों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं लाभान्वित कृषकों की विगत निम्न प्रकार है –

वर्ष	अल्पकालीन ऋण वितरण	
	लाभान्वित कृषकों की संख्या	राशि (करोड़ में)
2010–11	2252540	5581.10
2011–12	2094620	7476.76

2012–13	2653559	11215.91
2013–14	3161924	16830.54
2014–15	2921626	16017.36

2. मध्यकालीन ऋण वितरण :

अ) मध्यकालीन सहकारी कृषि निवेश ऋण वितरण–

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा कृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– ट्रैक्टर, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी विकास योजनान्तर्गत, लघु सिंचाई के विभिन्न उद्देश्यों, ग्रामीण गोदाम, वर्मी कम्पोस्ट, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, किसान सम्बल योजना एवं अन्य प्रयोजनों हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2010-11	17827.19
2011-12	21864.50
2012-13	26145.87
2013-14	31793.40
2014-15	30870.19

ब) मध्यकालीन सहकारी अकृषि निवेश ऋण वितरण

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचें द्वारा अकृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– उद्यम ऋण, लघु भार वाहन ऋण, आवास ऋण, अक्षय सौर ऊर्जा, अन्य प्रयोजनों हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2010-11	10399.61
2011-12	10577.49
2012-13	9956.30
2013-14	7032.74
2014-15	6710.72

वित्तीय स्थिति

1- लाभ शीर्ष बैंक / केन्द्रीय सहकारी बैंक :

पॉच वर्षो के लाभ की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि लाखों में)

वर्ष	शीर्ष बैंक	केन्द्रीय सहकारी बैंक
2010–11	2447.24	2300.61
2011–12	1957.54	3475.30
2012–13	2353.33	5008.25
2013–14	1512.70	(–)1540.53
2014–15	2632.17	1449.92(तदर्थ)

2. अमानतें :

शीर्ष बैंक

(राशि लाखों में)

वर्ष	अमानतें	वृद्धि दर	अमानतों की लागत

2010–11	287610.47	11.63	6.91
2011–12	358001.53	24.47	8.35
2012–13	445811.00	24.53	8.84
2013–14	547726.81	22.86	8.73
2014–15	979948.14	6.59	

केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाखों में)

वर्ष	अमानतें	वृद्धि दर	अमानतों की लागत
2009–10	590613.53	24.73	6.49
2010–11	639444.60	8.27	6.35
2011–12	706473.06	10.48	6.78
2012–13	824188.53	16.66	7.26
2013–14	919404.78	11.55	7.88

3. वसूली :

अ) कुल कृषि मांग व उसके विरूद्ध वसूलीः

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ वितरित किये गये समस्त ऋणों के विरूद्ध गत 5 वर्षो की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार हैः

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2010–11	668323.03	592032.79	88.58
2011–12	854236.75	751793.36	88.01
2012–13	1254251.05	1168745.05	93.18
2013–14	1784145.10	1611678.64	90.33
2014–15 (12 जून,2015)	1765925.24	1290977.99	73.10

ब) मध्यकालीन कृषि निवेश ऋण वसूली :

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचें द्वारा कृषि निवेश के विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित किये गये ऋणों के विरूद्ध गत पांच वर्षों की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2010-11	16801.35	10787.07	64.20
2011-12	20807.71	14215.73	68.32
2012-13	28233.35	20524.44	72.70
2013-14	34558.71	25332.93	73.30
2014-15(Upto May. 2015)	38023.41	19028.92	50.05

स) मध्यकालीन अकृषि निवेश ऋण वसूली :

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा अकृषि निवेश के विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित किये गये ऋणों के विरूद्ध गत पांच वर्षों की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2010-11	17747.13	10721.08	60.41
2011-12	17988.32	10700.72	59.49
2012-13	20672.54	13095.65	63.35
2013-14	20453.11	12631.91	61.76
2014-15(Upto May,2015)	22105.53	11965.31	54.13

मुख्य योजनाओं की कियान्विति

1. सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड :

राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित किये जा रहे है। वर्ष 2014–15 में कुल 29,21,646 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपये 16830.54 करोड का फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 12.6.2015 तक 1490273 किसान केडिट कार्ड धारकों को फसली ऋण लाभान्वित करते हुये राशि रूपये 6244.79 करोड(तदर्थ) का ऋण वितरण किया गया।

2. ज्ञान सागर ऋण योजना :

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अभिभावकों अथवा स्वयं छात्र को वित्तीय सहायता उपब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञान सागर ऋण योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर 6.00 लाख रूपये तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर 10.00 लाख रूपये निर्धारित है। छात्राओं को ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। योजनान्तर्गत राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गत पांच वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2010-11	27.39
2011-12	29.50
2012-13	24.49
2013-14	13.79
2014-15	15.77

3. स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा :

(i) राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गत पांच वर्षों में गठित किये गये महिला स्वयं सहायता समूहों एवं वितरित किये गये ऋणों का विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	बैंक वित्त से कड़ीबंधित समूहों की संख्या	ऋण वितरण
2010-11	12319	8295.36
2011-12	6787	5430.12
2012-13	6167	5368.45
2013-14	6180	4949.43

2014-15	3600	3410.00

(ii) 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना :

स्वंय सहायता समूहों को समय पर ऋण का चुकारा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 1 जुलाई, 2010 से लागू की गई थी। योजनान्तर्गत तीन वर्षों में लाभान्वित समूहों की संख्या एवं राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लाभान्वित समूहों की संख्या	ब्याज अनुदान राशि
2010-11	5808	48.09
2011-12	6052	110.87
2012-13	2649	35.76
2013-14	14144	61.84
2014-15	12322	54.27

4. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना :

राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ग्रामीण दस्तकार/लघु उद्यमी/लघु व्यवसायी/हस्तशिल्पी व पारंपरिक व्यावसायियों को अपने पारम्परिक व्यवसाय में अभिवृद्धि एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु गत पांच वर्षों में वितरित किये गये ऋणों का विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2010-11	2107.36
2011-12	1343.36
2012-13	1708.71
2013-14	1905.47
2014-15	1564.04

5. कृषि बीमा योजना :

राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गई है जिसके तहत संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल उगाने वाले ऋणी किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा अधिसूचना के जरिये बीमा कम्पनी का चयन, संसूचित फसलें, प्रीमियम दरें आदि बिन्दुओं का निर्धारण किया जाता है। कृषि विभाग की अधिसूचना के अनुरूप केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋणी कृषकों की प्रीमियम राशि व घोषणापत्र संबंधित बीमा कम्पनी को भिजवाये जाते है।

6. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :

मैसर्स यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को राशि रूपये 3.00 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा राशि रूपये 43.00 प्रति सदस्य प्रति वर्ष की दर पर अनिवार्यतः उपलब्ध करवाये जाने हेतु समझौता ज्ञापन दिनांक 19 मई, 015 को निष्पादित किया गया।

7. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 :

भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि ऋण माफी/ राहत योजना 2008 की क्रियान्विति राज्य में योजना प्रावधानों के अनुसार विभिन्न चरणों में यथा पात्र कृषक सदस्य का निर्धारण, परिवेदना प्राप्ति एवं सुनवाई, निचले स्तर पर क्लेम तैयार करवाना, नाबार्ड को क्लेम प्रस्तुतीकरण एवं प्राप्त राशि का संबंधित ऋणदात्री संस्थाओं को भिजवाना आदि प्रक्रियाओं से होकर क्रियान्विति सुनिश्चित की गई। अंतिम तौर पर योजना की प्राप्ति राज्य में निम्न प्रकार रहीः–

(राशि करोडों में)

विवरण	नाबार्ड को प्रेषित क्लेम		प्राप्त पुर्नभरण	बकाया क्लेम
	खातो की संख्या	राशि		
कृषि ऋण माफी (जीआरएस दावे सहित)	3,80,159	573.42 करोड	573.42 करोड	–
कृषि ऋण राहत	2,84,565	380.07 करोड	380.07 करोड	–
योग	6,64,724	953.49 करोड	953.49 करोड	–

इस प्रकार राज्य की सहकारी अल्पकालीन साख संस्थाओं के निमित 664724 खातों के संदर्भ में कुल 953.49 करोड की राशि के दावे नाबार्ड को प्रस्तुत किये गये थे जिसका सम्पूर्ण भुगतान नाबार्ड से प्राप्त हो गया है तथा संबंधित ऋणदात्री संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जा चुका है।

8. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना :

भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिनांक 31.3.2016 तक की अवधि हेतु किसानों को ऋण राशि रूपये 10 लाख की अधिकतम सीमा तक का जीवन बीमा राशि रूपये 5.69 प्रति हजार प्रति व्यक्ति अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 22 मई, 2015 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।

9- राज्य में अल्पकालीन सहकारी ऋण ढॉचे की वैद्यनाथन पुनरूद्वार योजना :

भारत सरकार द्वारा प्रो0ए0वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 2006 को भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नाबार्ड द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाकर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बन्धित पैक्स का अंशदान निम्नानुसार हैः–

	Assistance calculated	Amt. Received
भारत सरकार	433.57 Crore	318.01 Crore
राज्य सरकार	18.04 Crore	13.04 Crore
सहकारी साख ढॉचा	73.19 Crore	--
महायोग	524.80 Crore	331.05 Crore

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त राशि रूपये 18.04 करोड़ के अतिरिक्त पैक्स व्यवस्थापको की पी0एफ0 एवं ग्रेच्यूटी की राशि रूपये 44.35 करोड़ का वहन भी पैकेज के अंतर्गत किया जाना है।

एमओयू के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार समस्त बैंचमार्क गतिविधियॉ पूर्ण कर ली गई है। मुख्य विवरण निम्नानुसार हैः–

1 सहकारी अधिनियम में संशोधन राज्यपाल महोदय के नोटिफिकेशन दिनांक 16–10–09 से जारी किया गया जिसे तद्उपरांत राज्य विधान सभा द्वारा पारित कर नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2010 से अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में संशोधन के क्रम में संशोधित नियम एवं मॉडल बाईलॉज जारी किये जा चुके है।

2 समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के तहत जारी फिट एण्ड प्रोपर क्राइटेरिया अन्तर्गत की जा रही थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर होने से आगे की कार्यवाही रोक दी गई।

3 राज्य की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को सहकारी बैंकों से सीधे जोडकर Anywhere Banking की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने के उद्धेश्य से शीर्ष बैंक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र व निक्सी, नई दिल्ली के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। शीर्ष बैंक द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को राज्य की पैक्स में चरणबद्ध तरीके से उनके द्वारा विकसित Cooperative Core Banking Software की क्रियान्विति करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जिन 750 समितियों में नेटवर्क कनैक्टिविटी एवं विद्युत सप्लाई उपलब्ध होना अवगत करवाया गया है, उनमें Anywhere Banking की क्रियान्विति हेतु NIC/NISCI की टीम नियोजित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को निर्देशित किया गया है।

वर्तमान स्थिति :–

1 समितियों हेतु आंकलित सहायता राशि की लगभग 75 प्रतिशत राशि जारी की गई, राशि प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र सं	*दिनांक*	*केन्द्रीय सह.बैंकों की संख्या*	*समितियों की संख्या*	*भारत सरकार का हिस्सा*	*राज्य सरकार का हिस्सा*	*कुल योग*
	श्रेणी ''अ'					
1	7.01.2010	11	730	99.554 करोड	4.467 करोड	104.021 करोड
2	2.02.2010	10	960	59.408 करोड	3.123 करोड	62.531 करोड
3	2.02.2010	7	1073	81.846 करोड	2.556 करोड	84.402 करोड
	योग	28	2763	240.808 करोड	10.146 करोड	250.954 करोड
1	श्रेणी ''ब''	28	405	55.419 करोड	2.213 करोड	57.632 करोड
2	श्रेणी 'स'	23	107	21.788 करोड	0.683 करोड	22.471 करोड
	महायोग श्रेणी (अ+ब+स)		3275	318.015 करोड	13.042 करोड	331.057 करोड

2 पैकेज प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 1549 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में राज्य सरकार के हिस्से की 25 प्रतिशत से आधिक्य की राशि रूपये 5,79,85,264 को आदेश दिनांक 14–2–2011 से ग्राण्ट इन एड(सहायता राशि) में परिवर्तित कर दिया गया है।

3 राज्य सरकार द्वारा 6 केन्द्रीय सहकारी बैंकों यथा डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर एवं टोंक में राज्यांश की 25 प्रतिशत से आधिक्य की राशि रूपये 2. 33 करोड को सहायता राशि में परिवर्तित कर दिया गया है।

- 8 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 14 अपात्र ''स'' श्रेणी की पैक्स को राशि रूपये 2.81 करोड का भुगतान किया गया।

मांगः–

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुप्रर्वतन समिति की 33 वीं बैठक दिनांक 24–05–2010 में समितियों हेतु आंकलित सहायता राशि की शेष 25 प्रतिशत राशि जारी करने की अनुशंसा की गई है। तद्नुसार कुल 1805 समितियों हेतु भारत सरकार के हिस्से की राशि रूपये 106.14 करोड व राज्य सरकार के हिस्से की राशि रूपये 4. 55 करोड प्राप्त होनी है।

10– राज्य की सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण

- शीर्ष बैंक की सभी शाखाऐं केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान पर परिचालित की जा रही हैं।

- अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पूर्णतः स्वचालित आरटजीएस/एनईएफटी सुविधाऐं ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

- बैंक की शाखाओं में एटीएम स्थापित कर, BANCS एटीएम नेटवर्क से जोडा जाकर परिचालित किया जा रहा है।

- बैंक के डाटा सेंटर में स्वयं का वेब सर्वर व ई–मेल स्थापित कर बैंक की वेबसाईट व ई–मेल सुविधा परिचालित की जा रही है।

- राज्य के शीर्ष बैंक एवं सभी सहकारी बैंकों के केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान की क्रियान्विति हेतु शीर्ष बैंक जयपुर में कॉमन डाटा सेंटर निर्मित किया गया है।

- रील, जयपुर के माध्यम से चयनित सीबीएस वेण्डर मै. टीसीएस द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समस्त शाखाओं में सीबीएस सॉफ्टवेयर की क्रियान्विति कर दी गई है।

- अपेक्स बैंक द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लाभान्वितों के खातों में सीधे उपलब्ध करवाने हेतु बैंक के खातों को आधार कार्ड से जोडने हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

- राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु सं. 108 के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित 1211 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में Anywhere Banking की क्रियान्विति हेतु SeMT, Department of Information Technology & Communication, Government of Rajasthan द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपार्ट के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त बजट सहायता राशि हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रय करने तथा मास्टर डाटा

कार्य हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दी गई हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में Anywhere Banking की क्रियान्विति हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र तथा निक्सी नई दिल्ली से एमओयू हस्ताक्षरित किया जाकर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली को कयादेश दिया गया है। जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के हाथोज में सॉफ्टवेयर के पायलट रन का कार्य पूर्ण है।

कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत भावी कार्ययोजना :

- राज्य के शीर्ष बैंक में इंटरनेट व मोबाईल बैंकिंग तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के में आरटीजीएस/एनईएफटी, एटीएम, इंटरनेट, मोबाईल बैंकिंग जैसी आधुनिक बैंकिंग सेवाऐं प्रारंभ किया जाना।

- राज्य की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में Anywhere Banking की क्रियान्विति कर शीर्ष व केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क से जोडा जाना।

- नाबार्ड की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपये किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाकर पैक्स स्तर पर पॉईन्ट ऑफ सेल सुविधा प्रारंभ करते हुए शीर्ष व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एटीएम नेटवर्क से जोडा जाना।

अपेक्स बैंक के वर्ष 2015–16 के भावी कार्यक्रम

1– अल्पकालीन कृषि ऋणों के अन्तर्गत फसली ऋण हेतु रूपये 8500 करोड़ का ऋण वितरण।

2– निवेश साख (कृषि एवं अकृषि) योजनान्तर्गत भारत/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न परियोजनाओं हेतु रूपये 175 करोड़ का ऋण वितरण।

3– महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं कड़ीबंधन के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

4– अपेक्स बैंक की अमानतों का स्तर वर्ष के अन्त तक रूपये 6000.00 करोड़ तक करना।

5– बैंक के कुल ऋण बकाया के स्तर को रूपये 9500.00 करोड़ तक करना।

6– बैंक की कार्यशील पूंजी का स्तर रूपये 15600.00 करोड़ तक पहुंचाना।

7– बैंक में इन्टरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ करना।

8– राज्य की प्रथम चरण हेतु चिन्हित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण।

9– जयपुर में 3 नई शाखाएं एवं कोटा, जोधपुर व उदयपुर में 1–1 नई शाखा खोला जाना।